



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277000
CG-DL-E-09102026-277000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5349]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5349]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5561(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हैंड टूल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, जिसका भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जन हित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को हैंड टूल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूप प्रविष्टि के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) में विनिर्दिष्ट संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तु या सामान पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी हैंड टूल्स के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से प्रति वर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी आयातित वस्तुएं और सामान वाणिज्यिक रूप से बेचे नहीं जाएंगे और उन्हें स्कैप के रूप में निपटाया जाएगा और विनिर्माता ऐसी वस्तुओं या सामानों का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेंगे तथा सरकारी प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करेंगे।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	हैंड टूल्स	4003 (भाग 1):2026	पाइप रिंच - विशिष्टता भाग 1 सामान्य प्रयोजन	1 अप्रैल, 2027	1 जुलाई, 2027	1 अक्टूबर, 2027
2.		4003 (भाग 2): 2026	पाइप रिंच - विशिष्टता भाग 2 सामान्य प्रयोजन			
3.		2028:2026	ओपन जॉ रिंच (स्पैनर)			
4.		2029:2026	रिंग रिंच (स्पैनर)			
5.		6149:2025	सिंगल एंडेड ओपन- जॉ एडजस्टेबल रिंच विशिष्टता			
6.		4123:2024	चेन पाइप रिंच - विशिष्टता			
7.		4508:2024	ओपन-एंडेड स्लिंगिंग रिंच (स्पैनर)			
8.		4509:2024	रिंग स्लिंगिंग रिंच (स्पैनर्स)			
9.		3650:2026	कॉम्बिनेशन साइड कटिंग प्लायर्स के लिए विशिष्टता			

टिप्पणी: इस तालिका के प्रयोजनों के लिए, ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित संशोधनों सहित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** – ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी**– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29026/11/2022-एलईआई]

सुमित कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion Of Industry and Internal Trade)
ORDER

New Delhi, the 9th October, 2026

S.O. 5561(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Hand Tools (Quality Control) Order, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Hand Tools (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.— Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding entry mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of hand tools per year and those imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so, desired by Government authority.

TABLE

SL. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of Implementation in General (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for micro enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hand Tools	4003 (Part 1):2026	Pipe Wrenches - Specification Part 1 General Purpose	1 st April, 2027	1st July, 2027	1st October, 2027
2.		4003(Part 2): 2026	Pipe Wrenches – Specification Part 2 General Purpose			
3.		2028:2026	Open Jaw Wrenches (Spanners)			
4.		2029:2026	Ring Wrenches (Spanners)			
5.		6149:2025	Single Ended Open -jaw Adjustable Wrenches Specification			
6.		4123:2024	Chain Pipe Wrenches — Specification			
7.		4508:2024	Open-Ended Slugging Wrenches (Spanners)			
8.		4509:2024	Ring Slugging Wrenches (Spanners)			
9.		3650:2026	Specification for combination side cutting pliers			

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for contravention.— Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[F. No. P-29026/11/2022-LEI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.